न्यायाo श्री राजस्वमंडल ग्वालियर मo प्रo

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

- 2 FEB 2001

R-330 -III/2001

श्री शिवशरण सिंह अभि. द्वारा केम्प रीवा दिं. 15.2.2001 को प्रस्तुत

15-2-2001

1. राममनोहर उम्र 70 वर्ष पेशा खेती, | तनय श्री बल्देव प्रसाद
2. छोटेलाल उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती, |

निवासी ग्राम उमरी, तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवाम0 प्र0

--- आवेदक / अपीलान्ट

वनाम

1. श्री मती सुकबरियाँ बिधवा पत्नी श्री केमला प्रसाद उम्र 70 वर्ष पेशा खेती व घरूकाम,
2. गणेश उम्र 35 वर्ष, पेशा खेती, | तनय श्री केमला
3. अंगिरा प्रसाद उम्र 33 वर्ष पेशा खेती, | प्रसाद

उक्त सभी निवासी ग्राम उमरी तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0

4. श्री मती तेरसी उम्र 40 वर्ष पुत्री श्री केमला प्रसाद पत्नी श्री मथुरा प्रसाद सा0 बदबार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0 प्र0
5. श्री मती रजुआ उम्र 38 वर्ष, पुत्री श्री केमला प्रसाद पत्नी श्री राजधर पटेल सा0 कुइयाँ खुर्द तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवाम0 प्र0
6. इन्द्रबती उम्र 45 वर्ष, पुत्री श्री केमला प्रसाद पत्नी श्री श्यामलाल पटेल पेशा खेती व घरूकाम सा0 नौढ़ियाँ तह0 मऊगंज जिला रीवाम0 प्र0
7. श्री मती लीलाबती उम्र 30 वर्ष पुत्री श्री केमला प्रसाद पत्नी श्री अशोक कुमार पेशा खेती, व घरूकाम सा0 इटहा तहसील मऊगंज जिला रीवाम0 प्र0
8. रामगरीब तनय श्री महाबीर उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती, सा0 उमरी तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवाम0 प्र0
9. प्रयागदत्त तनय श्री साधू उम्र 55 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम उमरी तह0 रायपुर कर्चुलियान जिला रीवाम0 प्र0
10. लालमन तनय श्री बाल्मीक उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम उमरी तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवाम0 प्र0

--- अना0 / रेस्पा0 गण

क्रमशः 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 380–एक/2001 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-9-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव अवस्थी उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 32/2000–01/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.01.2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने स्पष्ट होता है कि वर्तमान प्रकरण में दिनांक 08.11.2000 को आवेदकगण के अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया था । दिनांक 10.01.2001 को आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(3) के तहत एक आवेदन पत्र दिया गया कि आवेदकगण को पेशी तारीक्ष की सूचना नहीं थी, क्योंकि इसके पूर्व पीठासीन अधिकारी के प्रभार	

हेतु नियत था, न कि सुनवाई हेतु । अतः प्रकरण पुर्नस्थापित किया जावे । मूल प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दनामक 26.06.2000 को आवेदकगण के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे। आदेश पत्रिका पर उनके हस्ताक्षर भी बने हुये है तथा इसी दिन प्रकरण 08.01.2000 को सुनवाई हेतु नियत किया गया था, फिर भी आवेदकगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। इसी आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपील निरस्त की थी । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश 15.01.2001 विधिसंगत है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य